



Neutral Citation-2026:AHC:40618

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या-6090/2026

प्रियंका राय

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:

अमरेंद्र नाथ राय, निधि राय

प्रतिवादीओं के अधिवक्ता:

मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले आदेश को दृष्टि में रखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस भेजकर और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखकर कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी आदेश से असंतुष्ट अनुभव करता है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर कर प्रार्थना की है कि प्रतिवादी संख्या 2-नायब तहसीलदार, तहसील निजामाबाद, जिला-आजमगढ़ को मामला संख्या 51162023 , कंप्यूटरीकृत मामला संख्या टी202315060205116 का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया जाए।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के अंतर्गत दायर एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) का उल्लेख करना उचित होगा, जिसमें यह अनिवार्य है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर संबंधित प्राधिकारी को विधि के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका निस्तारण करना होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के अनुसार (7) तहसीलदार पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों के भीतर निर्विवाद उत्पत्तिवर्तन मामले का और विवादित मामले का 90 दिनों का भीतर निर्णय करने का प्रयास करेगा, और यदि कार्यवाही इस अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है, तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा।

5. उक्त प्रावधान के आलोक में और साथ ही पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों आलोक में, अधिकारियों को निर्देश जारी किया जाता है कि वे उक्त आवेदन पर विचार करें और विधि के अनुसार, यथासंभव शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, बिना किसी विधिक बाधा के अनावश्यक स्थगन दिए, उसका निस्तारण करें।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी पक्षकारों के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

23 फरवरी 2026

(माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”